बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–पि0व0/आ0वि0सं0–50–01/2016– 822, अनु0

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,

पटना, दिनांक– 06/04/2022

विषय:– **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संचालन के संबंध में।**

प्रसंग:– **विभागीय पत्रांक–सं0सं0–पि0व0/अ0वि0सं–50–01/2016–2328, दिनांक–30.08.2016**

महाशय,

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों से आने वाली प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में बालिकाओं के लिए 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय यथा–पटना, मोकामा (पटना), गया, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियां, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण एवं रोहतास में संचालित है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–66, दिनांक–29.12.2021 द्वारा राज्य के सभी जिलों में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी आवासीय विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं का विकास एकीकृत उपागम् (Integrated Approach) के तहत करने की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के दैनंदिन संचालन हेतु समय–समय पर महत्वपूर्ण निदेश निर्गत किए गये हैं। इन आवासीय विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए कल्याण विभाग के पत्रांक–4522, दिनांक–11.08.1998 से समेकित मार्गदर्शन निर्गत किये गये थे। कालान्तर में समय–समय पर कल्याण विभाग एवं सम्प्रति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रबन्ध समिति, नामांकन, संचालन इत्यादि हेतु निदेश निर्गत किए गए।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा छिजन (Drop out) के चलते हुई रिक्तियों के विरूद्ध नामांकन एवं उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा पर जिला स्तर से क्रय किए जाने हेतु निर्गत सामान्य अनुदेशों को दृष्टिपथ में रखते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक–2326, दिनांक–30.08.2016 द्वारा छिजन (Drop out) के चलते हुई रिक्तियों के विरूद्ध नामांकन हेतु एवं उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा पर जिला स्तर से क्रय किये जाने हेतु पत्रांक–2327, दिनांक–30.08.2016 द्वारा निदेश निर्गत किये गये हैं। साथ ही सामग्री एवं पूर्तियों हेतु निर्गत विभागीय पत्रांक–1573, दिनांक–01.09.14 द्वारा दिशा–निर्देश को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा संशोधित करते हुए आवासीय विद्यालयों में देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा

निर्देश की स्वीकृति प्रदान की गई है इस आलोक में विभिन्न स्तरों पर समीक्षोपरांत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं :-

(क) <u>प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन</u>

(1) विद्यालय संस्थापन समितिः- अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के शुरूआती दौर में बेहतर समन्वय, संस्थापन एवं संचालन हेतु विद्यालय संस्थापन समिति का निम्नरूपेण गठन किया जाता हैः-

1.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	उप विकास आयुक्त	–	उपाध्यक्ष
3.	जिला पिछड़ा एव अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
4.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	असैनिक शल्य चिकित्सक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल	–	सदस्य
7.	संबंधित जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित जिला स्कूल/ किसी प्रतिष्ठित विद्यालय के प्राचार्य	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिष्ठित निजी विद्यालय/ अर्द्धसरकारी विद्यालय के प्राचार्य	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक	–	संयोजक

(2) विद्यालय संस्थापन समिति का कार्यः- आवासीय विद्यालयों के सफल संचालन के लिए सरकारी नियमों के अधीन रहते हुए समय-समय पर समिति के द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण कर सरकार को समय-समय पर सुझाव दिये जायेंगे। समिति का दायित्व होगा कि आवासीय विद्यालय का संस्थापन आवश्यकतानुसार उनके विकास के लिए शैक्षणिक, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं के निदान हेतु समन्वय करेंगे एवं महत्वपूर्ण परामर्श भी दिया जायेगा। जिला स्तर के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निदान, विद्यालय के बेहतर संचालन, प्रबंधन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अभिनव प्रयोग की अनुशंसा भी करेंगे। विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष रखा जाएगा। विद्यालय स्थापना के शैशवकाल में एक अच्छे अनुभवी परामर्शदाता (Honorary Mentor) आवश्यक है। विद्यालय संस्थापन समिति, स्थापना के कम-से-कम तीन वर्ष तक के लिए मानद अनुभवी परामर्शदाता (Honorary Mentor) नियुक्त करेगी। वह व्यक्ति शिक्षा से जुड़े होने के साथ आवासीय विद्यालयों में उन्हें रूचि हो एवं स्वेच्छा से सेवा देने को इच्छुक हो। इस कार्य हेतु किसी प्रकार का शुल्क/मानदेय मान्य नहीं होगा।

(3) संचालन समिति की बैठकः- संचालन समिति की बैठक एक वर्ष में चार बार किये जायेंगे। प्रत्येक बैठक तीन महीने के अंतराल पर किये जायेंगे। इसके अलावे भी अतिआवश्यक होने पर विशेष बैठक किये जायेंगे। पूरे वर्ष में दो बार से अधिक विशेष बैठक आहूत नहीं किये जायेंगे। ससमय बैठक की जवाबदेही जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी का होगा।

(4) विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षणः-

(क) संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ष में चार बार एवं प्रत्येक तीन माह में आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। विशेष परिस्थिति होने पर इसके अतिरिक्त

भी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। संबंधित जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन उच्चाधिकारी एवं विभाग को भेजेंगे। समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी भी अपने जिले में अवस्थित आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ष में दो बार आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विभागीय प्रधान या विभागीय प्रधान की अनुमति से विभागीय पदाधिकारी द्वारा भी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

(ख) कोई भी शिक्षक/शिक्षिका पूर्व सूचना, पूर्वानुमति एवं वैकल्पिक व्यवस्था के बिना विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे।

(ग) विद्यालय प्रधान शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय की पाठ्य तालिका के अनुसार अनुपालन की जाँच करेंगे एवं समय–समय पर अपना मंतव्य अंकित करेंगे।

(5) नामांकन की प्रक्रिया :–

(i) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–1120, दिनांक–17.04.2010 द्वारा छात्र/छात्राओं के नामांकन की पद्धति में परिवर्तन एवं राज्य स्तरीय नामांकन समिति के गठन के संबंध में निर्गत अनुदेशों में गठित प्रमण्डलीय नामांकन समिति एवं उसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय नामांकन समिति के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ग–VI में छात्राओं के नामांकन हेतु समरूप कार्रवाई की जायेगी।

(ii) वर्ग–VI में नामांकन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। नामांकन की प्रक्रिया अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों में नामांकन के साथ एवं समन्वय कर किया जायेगा, ताकि प्रशासनिक दक्षता के साथ पारदर्शी एवं द्रुतगति से समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत इसे पूरा किया जा सके। नामांकन अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–1120, दिनांक–17.04.2010 के आधार पर 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (Objective Question) निम्न प्रकार होगा :–

(क) हिन्दी 20 अंक,
(ख) अंग्रजी 20 अंक,
(ग) गणित 20 अंक,
(घ) विज्ञान 20 अंक,
(ड़) सामाजिक विज्ञान 20 अंक

(iii) वर्ग–XI में नामांकनः–

(a) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को 11वीं में सीधे नामांकन दिया जाएगा।

(b) आवासीय विद्यालय के वर्ग–XI में नामांकन हेतु सीट रिक्त रह जाते हैं तो उक्त रिक्त सीटों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा OFSS (Online Facilitation System for Students) प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। वर्ग–XI में नामांकन में कुल सीटों का 60% अति पिछड़ा वर्ग एवं 40% पिछड़ा वर्ग हेतु प्रावधान रहेगा। किसी भी कोटि में उपर्युक्त वर्ग की छात्रा उपलब्ध नहीं होने पर परस्पर दूसरे वर्ग के छात्रा का नामांकन किया जाएगा।

(c) उक्त a एवं b प्रावधान के बावजूद भी यदि सीट रिक्त रह जाते हैं तो रिक्त सीटों पर नामांकन लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। नामांकन अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक–1120, दिनांक–17.04.2010 के आधार पर गठित नामांकन समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार होगा। किसी भी कोटि में उपर्युक्त वर्ग की छात्रा उपलब्ध नहीं होने पर

20/06/04/2022

परस्पर दूसरे वर्ग के छात्रा का नामांकन किया जाएगा। विज्ञान के संकाय गणित, जीव विज्ञान एवं कला/वाणिज्य संकाय के लिए अलग–अलग 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (Objective Question) निम्न प्रकार होगा:–

(क) हिन्दी–25 अंक, (सभी के लिए अनिवार्य)

(ख) अंग्रेजी– 25 अंक, (सभी के लिए अनिवार्य)

(ग) गणित में नामांकन हेतु भौतिकी, रसायन एवं गणित– 50 अंक,

(घ) जीव विज्ञान में नामांकन हेतु भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान– 50 अंक,

(ङ) कला में नामांकन हेतु सामाजिक विज्ञान– 50 अंक,

(च) वाणिज्य में नामांकन हेतु वाणिज्य– 50 अंक,

प्रवेश परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन प्रमण्डल स्तर पर गठित नामांकन समिति द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा।

नामांकन हेतु प्रमंडल स्तर गठित समिति की संरचना निम्नवत् होगी:–

i.	प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	–	अध्यक्ष
ii.	प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
iii.	वरीयतम प्रधानाध्यापक	–	सदस्य
iv.	दो वरीयतम स्नातक शिक्षक (हिन्दी एवं गणित)	–	सदस्य

(6) प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति के मोनेटरिंग हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय नामांकन समिति गठित की जायेगी। राज्य स्तरीय नामांकन समिति की संरचना निम्न प्रकार है:–

i.	निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
ii.	उप निदेशक(मु0), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	–	सदस्य सचिव
iii.	प्रमंडलीय उप निदेशक, पि0व0 एवं अ0पि0व0 कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना	–	सदस्य
iv.	अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	–	सदस्य
v.	आवासीय विद्यालय के तीन वरीय प्रधानाध्यापक (कम से कम एक महिला)	–	सदस्य

(7) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में वर्ग–6 में नामांकन लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार मेधासूची एवं विद्यालयों के लिए दिये गये विकल्प के आधार पर प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

(8) परीक्षा केन्द्र का निर्धारण प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर गठित नामांकन समिति के द्वारा किया जायेगा।

26/04/2022

(9) मेधासूची में समान अंक होने पर गणित में अधिक अंक पाने वाले छात्रओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(10) प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्नों का चयनः–

i. निदेशालय स्तर पर गठित नामांकन समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीकृत रूप में प्रश्नों का चयन शिक्षकों द्वारा अलग–अलग पाँच सेट में करवाया जाएगा।

ii. उक्त प्रश्न–पत्रों के सेटों से अंतिम रूप में एक सेट करवाया जाएगा।

iii. प्रमण्डल स्तर पर गठित नामांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से पांच प्रतिशत अधिक प्रश्न–पत्रों का मुद्रण राज्य स्तर पर निदेशालय से करवाया जाएगा।

(11) **परीक्षा शुल्कः–** प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(12) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन की पात्रताः–

I. वर्ग–6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जायेगी। अभ्यर्थी को किसी सरकारी या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से वर्ग–5 कक्षा मे उत्तीण होंगे या परीक्षा के वर्ष में वह कक्षा–5 के परीक्षार्थी होंगे।

II. आवेदन के माता–पिता/अभिभावक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हो/आयकर दाता न हो/वार्षिक आय रू0 3,00,000/– से ज्यादा न हो।

III. वर्ग–6 में नामांकन के लिए नामांकन वर्ष पहली मई (एक मई) को आवेदक की आयु 10 से 13 वर्ष बीच हो।

(13) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करना होगा–

I. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अचंलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आय प्रमाण–पत्र

II. शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र की मूल/अभिप्रमाणित प्रति।

III. आवेदक के तीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज का)

IV. आवासीय प्रमाण पत्र/जन्म एवं आवास से संबंधित शपथ–पत्र।

(14) आवेदन पत्र जमा करना–

I. विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र ऑन–लाईन (Online)/हस्तलिखित या टंकित प्रति जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा।

II. आवेदन–पत्र के सभी स्तम्भों को भरकर निर्धारित तिथि तक ही आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाएगा।

III. आवेदन–पत्र प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद आवेदक को संबंधित कार्यालय से दिया जाएगा एवं सभी ऑफ–लाईन (Offline) यथा हस्तलिखित या टंकित आवेदनों का संधारण ऑन–लाईन (Online) डाटा–बेस में किया जायेगा।

(15) प्रवेश–पत्रः–

I. आवेदक द्वारा संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से निर्धारित अवधि में परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जाएगा।

16/04/2022

II. किसी कारणवश आवेदन प्रवेश–पत्र निर्धारित अवधि मे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक आवेदक को परीक्षा केन्द्र पर प्राप्ति रसीद के आधार पर प्रवेश–पत्र उपलब्ध करवायेंगे।

(16) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का कर्त्तव्यः–

I. वे अपने विद्यालय में उपलब्ध सीटों एवं रिक्तियों के संबंध में सूचना जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को नामांकन वर्ष के मार्च माह के प्रथम सप्ताह में देंगे।

II. प्रवेश परीक्षा में संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

III. जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण के दिशा निर्देश के आलोक में नामांकन से संबंधित अन्य कार्य संपादित करेंगे।

(17) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी का कर्तव्यः–

I. प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण से समन्वय स्थापित कर परीक्षा केन्द्र का चयन प्रमंडल स्तरीय नामांकन समिति के अनुशंसा पर करेंगे।

II. प्रश्न पत्र मुख्यालय से प्राप्त करना।

III. प्रश्न पत्र की अभिरक्षा करना।

IV. परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र का वितरण समय पर सुनिश्चित करवाना।

V. परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पृष्ठ को सील कर प्रमंडल मुख्यालय को भेजना।

VI. विभाग तथा प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण को सभी स्थिति से अवगत कराना।

VII. इस संबंध में समय पर विभाग द्वारा दिये गये अन्य निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

(18) प्रमंडलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का कर्तव्यः–

I. नामांकन, प्रवेश परीक्षा का संचालन, अनुश्रवण करना,

II. परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण करना,

III. परीक्षा से संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन विभाग को भेजना,

IV. परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

(19) परीक्षा फल का प्रकाशनः–

I. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गोपनीयता को अक्षुण्ण रखते हुए Coding-Decoding का उपयोग करते हुए प्रमण्डल स्तर पर कराया जाएगा।

II. मूल्यांकन का कार्य दूसरे प्रमंडल के आवासीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

III. मेधा सूची प्रमंडलवार तैयार किया जाएगा एवं यथा साध्य छात्राओं को गृह जिला विकल्प के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

IV. प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कक्षा–6 एवं 11 में अति पिछड़ा वर्ग हेतु रिक्त सीट का 60 (24 सीट) प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग की छात्रा 40 (16 सीट) प्रतिशत सीट का प्रावधान रहेगा। किसी भी कोटि में उपर्युक्त वर्ग की छात्रा उपलब्ध नहीं होने पर परस्पर दूसरे वर्ग के छात्रा का नामांकन किया जाएगा।

(20) विद्यालय में नामांकन– परीक्षा फल के आधार पर आवेदक के प्रमाण पत्र की जांच कर संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा नामांकन लिया जाएगा एवं एक समेकित प्रतिवेदन मुख्यालय, जिला एवं प्रमंडल को समर्पित किया जाएगा। प्रथम सूचना के फलस्वरूप नामांकन के लिए

सफल उम्मीदवार अगर नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिनों के अंदर नामांकन नहीं कराते हैं तो उन्हें पुनः 10 दिनों का समय देते हए दूसरा स्मार निबंधित डाक से दिया जाएगा। निर्धारित दूसरे स्मार के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं तो मेधा सूची में नीचे आने वाले अभ्यर्थी का नामांकन कर लिया जाएगा।

(21) विद्यालय में रिक्ति को भरने संबंधी प्रावधानः– प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत छात्राबल की अनिवार्य उपस्थिति का प्रावधान रहेगा। सत्र के दौरान किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तियों को तदन्तर भरने की वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत मेधा सूची से रिक्त सीटों को भरा जाएगा।

प्रायः यह पाया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विभिन्न वर्गों में कई कारणों से समय–समय पर छात्राओं का छिजन होता है जिसके चलते वर्ग–VI से XII में निर्धारित क्षमता के अनुरूप छात्राओं की संख्या नहीं रह पाती है। इस कारण एक ओर क्षमता से कम छात्राओं को शिक्षा का लाभ मिलता है, तो दूसरी ओर उपलब्ध संसाधन एवं शिक्षकों का महत्तम (Optimum) उपयोग नहीं हो पाता है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि वर्ग–VI में पर्याप्त संख्या में छात्राओं का नामांकन हो साथ ही प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाय, ताकि छात्राओं की संख्या सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु निम्नांकित अनुदेश हैः–

(i) कभी–कभी मेधा के आधार पर प्रायः पाया जाता है कि वर्ग–VI में नामांकन के समय आवासीय विद्यालयों में स्थान रिक्त रह जाते हैं। ऐसे स्थानों पर प्रतीक्षा सूची से प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जाय।

(ii) बगैर वैध कारण के 30 दिनों तक कोई छात्रा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी जाती है, तो उसे रिक्ति मानते हुए प्रतीक्षा सूची से मेधा क्रमानुसार नई छात्रा का नामांकन किया जाय।

(iii) वर्ग–VII से XI के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व ही आवश्यक सूचना समाचार पत्रों में दी जाए तथा जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों में पिछले वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर छात्राओं का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा किये जाने के पश्चात् छात्राओं का नामांकन किया जाए।

(iv) जिलास्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे, जबकि संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विद्यालय के वरीयतम शिक्षक सदस्य होंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की अनुशंसा के आलोक में नामांकन किया जाएगा। समिति के निर्णय के संबंध में दावा प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) <u>शैक्षनिक एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रबंधन</u>

(22) पाठ्यक्रमः– विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों के पैटर्न पर संचालित है, फलस्वरूप इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा–VI से लेकर 10+2 स्तर तक की कक्षाओं में पाठ्यक्रम के विषय एवं समय तालिका वही रहेगी, जो शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

(23) दिनचर्या (Routine) :– सभी आवासीय विद्यालय के छात्राओं के शैक्षणिक उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए दिनचर्या का प्रावधान किया जा रहा है। प्रमण्डलीय उप निदेशक (पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) के सामान्य अनुदेश के अंतर्गत प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षकों की सहमति से दिनचर्या बनायेंगे, जिससे एकरूपता एवं गुणवत्ता बनी रहे एवं पर्यवेक्षण में आसानी हो।

राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में दिनचर्या (योगा, प्रार्थना, कक्षा, भोजन, स्वाध्याय आदि) निम्न प्रकार से होगाः–

06/04/2022

दिनचर्या		
क्रम सं0	अवधि	कार्यकलाप
1	5.15 पूर्वा0 5:45 पूर्वा0	शय्या त्याग, नित्यकर्म आदि
2	5:45 से 6:15 पूर्वा0	योगा एवं प्रणायाम
3	6:15 से 7:00 पूर्वा0	स्नान एवं पोशाक बदलना
4	7:00 से 7:15 पूर्वा0	दुग्ध/वैकल्पिक पेय पदार्थ
5	7:15 से 7:35 पूर्वा0	प्रार्थना
6	7:35 से 8:15 पूर्वा0	प्रथम पाली
7	8:15 से 8:55 पूर्वा0	द्वितीय पाली
8	8:55 से 9:30 पूर्वा0	जलपान
9	9:30 से 10:10 पूर्वा0	तृतीय पाली
10	10:10 से 10:50 पूर्वा0	चतुर्थ पाली
11	10:50 से 11:30 पूर्वा0	पंचम पाली
12	11:30 से 11:40 पूर्वा0	अवकाश
13	11:40 से 12:20 अप0	छठी पाली
14	12:20 से 1:40 अप0	उपचारिक शिक्षा/पर्यवेक्षकीय अध्ययन
15	1:40 से 3:00 अप0	भोजन तथा विश्राम
16	3:00 से 3:45 अप0	सप्तम पाली
17	3:45 से 4:30 अप0	अष्टम पाली
18	4:30 से 4:45 अप0	चाय एवं स्नैक्स
19	4:45 से 5:50 अप0	खेल कूद एवं उपस्थिति
20	5:50 से 6:15 अप0	स्नान एवं पोशाक बदलना
21	6:30 से 8:00 अप0	शिक्षक के पर्यवेक्षण में स्वाध्याय
22	8:00 से 8:45 अप0	रात्रि भोजन
23	8:45 से 9:15 अप0	प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति जाँच/परामर्श
24	9:15 से 10:15 अप0	स्वाध्याय
25	10:15 अप0	रात्रि विश्राम

दिनचर्या सोमवार से शनिवार तक होगा एवं शीतकाल में उपर्युक्त दिनचर्या 6:15 बजे प्रातः से शुरू होगी।

रविवार : प्रत्येक रविवार को 10:30 पूर्वाह्न से 3:30 अपराह्न तक प्रधानाध्यापक शिक्षकों के सहयोग से छात्रों को अभिनय, गायन, वाद–विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, खेल का मैच आदि आयोजन करेंगे।

विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनकी कार्यक्षमता एवं योग्यता के आधार पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका छात्रावास अधीक्षक बनायेंगे। छात्रावास अधीक्षक निश्चित रूप से अपना आवास विद्यालय परिसर में ही रखेंगे। जिस विद्यालय में आवास की सुविधा नहीं हो, वहाँ वे उनके सन्निकट आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/छात्रावास अधीक्षक तथा शिक्षक/शिक्षिका प्रातः एवं रात्रि में छात्रों के स्वाध्याय अवधि में सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे।

(24) **परिवर्द्धनः–** आवासीय विद्यालयों में छात्राओं के क्षमतावर्द्धन के लिए एवं अनुशासित दैनंदिन के उद्देश्य से परिवर्द्धन किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ :–

(i) **विद्यालय प्रार्थना सभा–**

प्रातःकालीन सभा (Assembly)– प्रातःकालीन सभा में पूरा स्कूल समुदाय, प्राचार्य, शिक्षक एवं बच्चे स्कूल की पहचान एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। प्रातःकालीन सभा छात्राओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा मंच है। यह छात्राओं के बीच आत्मविश्वास, ज्ञान एवं जानकारी हासिल करने, रचनात्मकता विकसित करने के मंच के रूप में काम करता है। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक दिवस पर अलग–अलग विषयों पर प्रेरणादायी और उत्साहवर्द्धक संबोधन हो।

(क) प्राचार्य, उप–प्राचार्य, सभी शिक्षकों तथा छात्राओं के लिए निर्धारित समय पर सुबह की सभा (Assembly) में उपस्थित होना आनिवार्य होगा।

(ख) प्रार्थना सभा में विद्यालय गान समर्पण एवं पूरे मन से किया जाना चाहिए। संगीत शिक्षक को प्रार्थना एवं समूह गीत में सही उच्चारण, लय एवं राग का ध्यान रखना चाहिए।

(ग) दूसरी गतिविधियों को भी ठीक से एवं अलग–अलग तरीके से कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, भाषण का विषय किसी दिन विशेष से संबंधित विषय–वस्तु यथा, पर्यावरण दिवस, योग दिवस, श्रम दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस इत्यादि जुड़ा हो और अच्छी तरह से लिखा गया हो।

(घ) मास्टर ऑन ड्यूटी/प्राचार्य को आनिवार्य रूप से सुबह की सभा को संबोधित करना चाहिए।

(ड़) शारीरिक शिक्षा शिक्षक (P.E.T.) संगीत शिक्षक और ड्यूटी मास्टर सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यक्रम समय सीमा के अंतर्गत पूरे हो जाएँ और छात्राएँ एक लाईन में सभा से अपने क्लासरूम में जाएँ। प्रार्थना और छात्राओं की सभा (Assembly) से क्लासरूम में जाने के समय स्कूल बैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्याण विभाग के पत्रांक–4522, दिनांक–11.08.1998 द्वारा निर्गत अनुदेशों की कंडिका–3 में उल्लेखित समय पूर्वाह्न–6:00 बजे से 6:30 बजे तक के लिए निम्नांकित कार्यकलाप निर्धारित किए जा सकते हैं।

प्रार्थना सभा कार्यकलाप (Morning Assembly Activities)

कार्यकलाप	समय (मिनट)
वर्गवार उपस्थिति, प्रार्थना, मनन–प्रार्थना, शपथ, दिन का विचार, समाचार वाचन, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय एवं खेलकूद की खबरें, छात्रा वार्ता/शब्द संग्रह संवर्धन/क्विज/पुस्तक समीक्षा/पाठ्य–संवाद इत्यादि, समूह गायन, मास्टर ऑन ड्यूटी/प्राचार्य का संबोधन, राष्ट्रगान एवं व्यायाम।	30

(ii) **शैक्षणिक एवं अवकाश कैलेंडर (विद्यालय कैलेंडर):–**

विद्यालय कैलेंडर छात्राओं को अनुशासित और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से बेहतर पढ़ाई के लिए तैयार करता है। इस संदर्भ में विद्यालय कैलेंडर एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस तरह विद्यालय शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले शैक्षिक, सह–शैक्षिक गतिविधियों के साथ–साथ महत्वपूर्ण दिवसों/आयोजनों/कार्यकलापों आदि को शामिल करते हुए हर साल के लिए एक प्रभावी कैलेंडर तैयार किया जायेगा।

सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में विद्यालय कैलेंडर का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

06/04/2022

(25) पुस्तकालय की सुविधा– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के संरक्षण में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना की जाय। जिसमें छात्राओं को शैक्षणिक, प्रतियोगी एवं साहित्य की अद्यतन पुस्तकों के अलावा समाचार पत्र/पत्रिका, मासिक एवं वार्षिक प्रतियोगी मैगजीन/जर्नल/प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी से संबंधित सुविख्यात लेखकों की पुस्तकें आदि पढ़ने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

पुस्तकालय के अंदर छात्राओं को बैठकर पढ़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाय तथा पुस्तकालय के बाहर छात्राओं के बैग/स्वयं का पाठ्य पुस्तक आदि रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में Pigeon Box उपलब्ध करायी जाय।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय एवं दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका की व्यवस्था हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) <u>अग्रिम शैक्षणिक, दक्षता एवं कार्यकुशलता प्रबंधन</u>

(26) ICT Tools के माध्यम से प्रशिक्षण :– राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में से सभी विद्यालयों में पर्याप्त कम्प्यूटर की संधारण क्षमता के साथ स्मार्ट क्लास का प्रावधान किया जायेगा।

कम्प्यूटर कक्ष में न्यूनतम 65 इंच की स्मार्ट टी.वी. के साथ छात्राओं के लिए लैपटॉप/कम्प्यूटर उपलब्ध करायी गई है, जिससे ऑनलाईन क्लास एवं उन्नयन कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके।

(27) उपचारिक शिक्षा (Remedial Teaching) :– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विषयवार कमजोर/औसत छात्राओं को रेखांकित करते हुए संबंधित विषय हेतु उक्त छात्राओं को अतिरिक्त या विशेष कक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(28) आजीविका परामर्श एवं प्रेरणादायक सत्रः– राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कक्षा 09 से 12 तक की छात्राओं को समय–समय पर व्यवसायिक या तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा विशेष कक्षा के माध्यम से आजीविका परामर्श (Carrier Oriented) एवं मार्गदर्शन दिया जाय।

छात्राओं को आजीविका के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से विशिष्ट अतिथियों या प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्रत्येक 03 माह पर अनिवार्य रूप से मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जाय। समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित पदाधिकारियों यथा भारतीय प्रशासनीक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, बिहार प्रशासनीक सेवा आदि/विशिष्ट शिक्षा धाराकों यथा डॉक्टर, विद्वान अधिवक्ता/तकनीकी विशेषज्ञों यथा इंजिनियर/किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत नागरीक, लेखकों आदि का मार्गदर्शन सत्र द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित एवं विभिन्न उच्च शिक्षाओं एवं सेवाओं के लिए प्रोत्साहित कराया जाय।

(29) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं खेल प्रशिक्षणः–राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रतियोगिता परीक्षा/इंजीनियरिंग/ तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि की तैयारी के लिए फैकल्टी मेंबर के द्वारा 10 से 12 तक की छात्राओं के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन आदि माध्यमों से नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाय।

राज्य के सभी विद्यालयों में खेल गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जिसके तहत राज्य के विभिन्न पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों से समूहवार (Cluster) चयनित छात्राओं को दूसरे पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के समूह के बीच 3–4 दिवसीय खेल प्रतिस्पर्द्धा आयोजित कराते हुए प्रतियोगिता में चयनित छात्राओं को खेल प्रशिक्षक द्वारा संबंधित खेल का प्रशिक्षण

दिया जांय। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा राशि का प्रावधान किया गया है।

(30) अंतर्राज्यीय विद्यालयी प्रतिस्पर्धा :– राज्य में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं के समग्र विकास हेतु जिला, प्रमण्डल, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, क्विज, लेखन प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिता सांप्रादायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता विकास आदि कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाय।

(31) विज्ञान के प्रति रूचि एवं सहभागिता:– छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से सभी कक्षा में प्रायोगिक कक्षाएं संचालित की जाय।

नवीनतम प्रायोगिक उपकरण (माइक्रोस्कोप, स्लाईड्स आदि) के साथ सुसज्जित कक्षा भवन का प्रावधान किया जाय जिसमें उच्चतर कक्षा की छात्राओं को निरीक्षण, अवलोकन एवं प्रयोग के माध्यम से विज्ञान की कक्षा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त के साथ साथ प्रत्येक आवासीय विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाएं (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान) सुसज्जित उपकरणों के साथ स्थापित की जाए। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक विज्ञान शिक्षक को प्रयोगशाला के संचालन एवं रख–रखाव के लिए जिम्मेवार बनाएंगे। छात्राओं को भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी शिक्षक पर होगी।

उक्त के अतिरिक्त छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि, सहभागिता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु विद्यालय में छात्राओं के बीच विद्यालयी विज्ञान कार्यशाला, अंतरविद्यालयी विज्ञान कार्यशाला, जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता/कार्यशाला, अन्य राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं के अनुकूल विज्ञान कार्यशाला/प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न केवल प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि भाग भी लें।

(32) शैक्षणिक भ्रमण एवं साहसिक कार्यक्रम:– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की छात्राओं के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रतिवर्ष सांस्कृतिक एवं एंतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा।

प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में NCC, Scouts and Guides आदि संस्थाओं में से किसी एक संस्था के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इस संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा बिहार परिभ्रमण हेतु मुख्यमंत्री बिहार भ्रमण योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय 50 छात्राओं को परिभ्रमण कराया जाना है।

(33) परीक्षा एवं मूल्यांकन :– संबंधित विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष तीन बार टर्मिनल परीक्षा आयोजित की जाय। प्रथम मई माह के द्वितीय सप्ताह में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा, माह सितम्बर के अंत में नौ माही परीक्षा एवं दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाय। तीनों परीक्षाओं के औसत प्राप्तांक के आधार पर ही वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया जाय। अर्द्ध वार्षिक एवं नौ माही परीक्षा के मूल्यांकन में कमजोर पाये जाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक परीक्षा के पश्चात् छात्राओं को प्रगति पत्र उपलब्ध करा दिये जाएं जिसमें छात्राओं द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, छात्र का क्रिया कलाप, अनुशासन एवं आचरण से संबंधित टिप्पणी अंकित रहे। प्रधानाध्यापक अपने–अपने विद्यालय का शैक्षणिक कैलेण्डर जनवरी माह में सभी छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को उपलब्ध करा दें ताकि छात्रों को अध्ययन/अध्यापन एवं आगामी संभावित परीक्षा की पूर्व से ही

06/04/2022

जानकारी हो सके तथा अभिभावक अपने पुत्रियों के पठन पाठन के प्रति सचेष्ट रहे। शैक्षणिक कैलेण्डर के आधार पर ही अध्यापन एवं परीक्षा की व्यवस्था की जाय।

प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को चार विषयों की संक्षिप्त आंतरिक परीक्षा ली जायेगी जिससे छात्राओं के शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन हो सके। छात्राओं को जिस विषय में पढ़ने में कमजोर पाया जाय, उस विषय में संबंधित शिक्षक विशेष ध्यान देकर उसकी शैक्षणिक प्रगति बढ़ाएंगे।

वर्ग अध्यापन में विषय शिक्षक सुगम पाठ्य योजना तैयार करेंगे जिसके आधार पर ही वर्ग में अध्यापन करेंगे। प्रधानाध्यापक एवं निरीक्षी पदाधिकारी समय–समय पर इसका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(34) **वर्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागवानी कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित कार्यक्रमः–** विद्यालय में शिक्षक एवं छात्राओं के बीच परस्पर सहयोग, अनुशासन और आनन्द का वातावरण बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छात्राओं में राष्ट्रीय एकता की भावना एवं आदर्श नागरिक के सभी गुणों को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका वार्षिकोत्सव, सांस्कृकि कार्यक्रम, बागवानी कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधि/गणमान्य प्रतिनिधि को बुलाकर कार्यक्रम दिसम्बर माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित कर विभिन्न कार्यक्रमों यथा खेल–कूद, वाद–विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भावना से संबंधित नाटक इत्यादि का आयोजन करेंगे और चयनित छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। अपने–अपने वर्गों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाये। इसके साथ साथ स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में क्विज, खेलकूद, भाषण, पेंटिंग आदि प्रतिस्पर्द्धा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा सास्कृतिक कार्यक्रम वार्षिकोत्सव, बागवानी हेतु प्रति आवासीय विद्यालय राशि का प्रावधान किया गया है।

(35) **राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरूषों की जयन्ती :–** राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरूषों की जयंतियों के दिन छात्राओं एवं शिक्षक छुट्टी न मानकर सामूहिक रूप से मिलकर समारोह आयोजित करेंगे जिससे छात्राओं में प्रेरणादायक अनुशासन एवं सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके।

(36) **मेधा–छात्रवृत्ति :–** आवासीय विद्यालय के छात्राओं के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

(37). **अभिभावकों एवं शिक्षकों की बैठक :–** प्रत्येक दो माह पर अभिभावक एवं शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु तथा विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किसी रविवार को एक बैठक का आयोजन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। बैठक में जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण भी आमंत्रित किये जायेंगे। बैठक की कार्यवाही विद्यालय में स्थायी रूप से पुस्तिका में अंकित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को भेजी जाएगी।

(38) **विद्यालय विकास एवं समन्वय समिति का गठन :–** तत्कालीन कल्याण विभाग के पत्रांक–4522, दिनांक– 11.08.1998 के आलोक में प्रधानाध्यापक 3 वरीय शिक्षकों एवं पाँच अभिभावकों की एक

विद्यालय विकास एवं समन्वय समिति का गठन प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में गठित की जायेगी जो विद्यालय के प्रशासन, छात्रों के अनुशासन एवं विद्यालय के विकास पर समुचित निर्णय लेगी।

(39) विद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन :– प्रत्येक आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका विद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन विद्यालय संस्थापन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं एक–एक प्रति जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण को विद्यालयों के प्रगति के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन देंगे एवं विद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सीधे भेजेंगे जिसमें इस मार्गदर्शिका में उल्लिखित निदेश के अनुपालन का स्तर, भवन एवं अन्य सुविधाओं की स्थिति, शिक्षण का स्तर, extra curricular activities, परीक्षाफल के संबंध में विश्लेषनात्मक टिप्पणी, विद्यालय के संचालन की सामान्य स्थिति आदि का समावेश हो।

(40) छात्राओं के लिए सामग्रियों का क्रय एवं वितरण :– पठन–पाठन सामग्री, स्कूल यूनिफॉर्म, पोशाक, कंबल, दरी, चादर आदि का क्रय विभागीय पत्रांक–2327, दिनांक– 30.08.2016, विभागीय पत्रांक–1573, दिनांक–01.09.2014, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत पत्र/आदेश के आलोक में निर्धारित दर पर उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा किया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा सामग्री एवं पूर्तियाँ के लिए क्रय प्रक्रिया पद्धति में गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा–निर्देश भी दिया गया है, जो निम्नवत् है:–

सामग्री एवं पूर्तियाँ के लिए क्रय प्रक्रिया, पद्धति में गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा–निर्देश।

क्र0	मद का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्रा प्रति माह (वर्ग–6 से 12 तक)	i. निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। ii. विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोग्राफी के सत्यापन के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा। iii. मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने/विशेष परिस्थिति में मेस संचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक/प्रधानाध्यापक की होगी।
2	वस्त्र, तेल, साबुन, सर्फ, दवा, प्रति छात्रा प्रति वर्ष (वर्ग 6–12 तक)	<u>वस्त्र</u> i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को वस्त्रादि मद में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। ii. विद्यालय पोशाक में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया जाएगा। iii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय में पोशाक क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

Q 16/09/2021

		<u>तेल, साबुन, सर्फ,</u> i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। **<u>दवा</u>** i. संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सक को रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। चिकित्सक के परामर्श के आलोक में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी/दर के आलोक में किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी।
3	पठन–पाठन सामग्री प्रति छात्रा वार्षिक (वर्ग–6 से 12 तक)	i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। ii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय बाजार में पठन–पाठन सामग्री की उपलब्धता के आलोक में पठन–पाठन सामग्री क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
4	बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट हेतु	i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते किया जाएगा। ii. विद्यालय में बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा। iii. छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
5	खेलकूद सामग्री/प्रतियोगिता/पुस्तकालय व्यय/दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	**<u>खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता</u>** i. खेल कूद सामग्रियों की अनुमान्यता के आलोक में छात्रा की गठित समिति के मांग के अनुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा अधियाचना जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध राशि के अनुरूप खेल–कूद सामग्रियों का क्रय किया जायेगा। **<u>पुस्तकालय</u>**

		i. छात्राओं एवं शिक्षकों की अधियाचना के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। **दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका** i. दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका पर व्यय होने वाले विपत्रों को प्रति हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक के द्वारा विपत्र जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
6	व्यवसायिक प्रशिक्षण (वर्ग–6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा चयनित एजेंसी एवं दर के आलोक में व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास के लिए संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवंटित एजेंसी के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
7	कौशल विकास (कम्प्यूटर प्रशिक्षण) (वर्ग–6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थान का चयन एवं दर का निर्धारण किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय क्रय समिति के स्तर से अनुशंसित संस्थान के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, वागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	छात्राओं एवं शिक्षकों की अधियाचना के आलोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी से संबंधित प्रस्ताव पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जिसके आलोक में व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा इस सदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किए जाएंगे।
7	डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	प्रधानाध्यापक की अधियाचना के आलोक में डीजल पर व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
8	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के आधार पर सफाई के लिए एजेन्सी का चयन किया जाएगा, जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के आलोक में राशि का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

06/07/2022

9	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार के नियमों के अधीन आउटसोर्सिंग के आधार पर एजेन्सी का चयन कर आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। राशि का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के दर पर प्रति विद्यालय तीन गार्ड (8 घंटे प्रति गार्ड) की व्यवस्था की जाय।

सामग्रियों के क्रय के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7810, दिनांक–23.08.2018 एवं पत्रांक–4000, दिनांक–31.05.2018 के प्रसंग में विभागीय पत्रांक–292, दिनांक–11.02.2021 द्वारा निदेश दिया गया है कि लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त विभागीय अधिसूचना 9230, दिनांक–27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं। अतः आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु सामग्री एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति GeM Portal के माध्यम से किया जाए। सामग्रियों के क्रय/सेवाओं हेतु क्रय समिति के बजाय GeM Portal को प्राथमिकता दिया जाए। GeM Portal पर सामग्री/सेवा उपलब्ध नहीं होने पर ही उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से सामग्री/सेवा प्राप्त किया जाए। आवासीय विद्यालयों के लिए प्रावधानित एवं विहित सामग्रियों के क्रय हेतु विचारण के समय छात्राओं की संख्या/सामग्री की आवश्यकता, राशि की आवश्यकता एवं सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टिपथ में अनिवार्यतः रखा जाय। साथ ही साथ इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा निर्गत आदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(41) **क्रय समिति–** आवासीय विद्यायालें में सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय समिति निम्न प्रकार से रहेंगी–

i. उप विकास आयुक्त – अध्यक्ष
ii. जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी – सचिव
iii. जिला लेखा पदाधिकारी – सदस्य
iv. जिला नजारत उप समाहर्ता – सदस्य

इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश/निदेश लागू होंगे।

(42) **आवासीय विद्यालय के छात्राओं के लिए पोशाक एवं अन्य देय सामग्री** :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 के आलोक में आवासीय विद्यालय के छात्राओं के लिए पोशाक एवं अन्य सामग्री निम्नवत् है–

आवासीय विद्यालयों की छात्राओं हेतु पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री संबंधी तालिका

क्र.स.	मद का नाम	स्वीकृत प्रावधान
1	2	3
1	फ्रॉक/कुर्ता/साड़ी	5 प्रति वर्ष
2	सलवार/पेटीकोट	5 प्रति वर्ष
3	ब्लाउज	5 प्रति वर्ष
4	नाईटी/नाईट शूट	2 प्रति वर्ष
5	समीज	2 प्रति वर्ष
6	अन्तः वस्त्र	6 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष

8	तौलिया	4 प्रति वर्ष
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10	जूता–मौजा / सैन्डल	2 प्रति वर्ष
11	सैनिटरी पैड	12 पीस के 12 पॉकेट प्रति वर्ष
12	मच्छरदानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्त्तन, फर्नीचर आदि	2 प्रति वर्ष

(43) मेस संचालन :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 के आलोक में आवासीय विद्यालयों के आवासियों (छात्राओं) की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन इत्यादि के लिए अनुमान्यता एवं निर्धारित दर के अनुरूप मेस का संचालन किया जाएगा। निर्धारित मेनु के अनुसार छात्राओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोग्राफी के सत्यापन के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा। मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने / विशेष परिस्थिति में मेस संचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक / प्रधानाध्यापक की होगी।

आवासीय विद्यालयों में उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा मेस के लिए मेनु का निर्धारण किया गया है। मेनु निम्नवत् है :–

आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण

क्र0 सं0	वार	सुबह में पी0टी0 के पहले	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	समोसा–2 एवं चटनी	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर (आटा–100 ग्राम+सब्जी–150 ग्राम+एवं दूध–100 ग्राम+चावल–25 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)
2	मंगलवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल–50 ग्राम+काबुली चना–50 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	मौसमी फल(150 ग्राम)	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (आटा–100 ग्राम+सब्जी–150 ग्राम+एवं सलाद–50 ग्राम)
3	बुधवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	चाकलेट+बिस्कुट–2 पीस	रोटी, अण्डा करी / सब्जी(आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर(आटा–100 ग्राम+अण्डा–1 / सब्जी–150 ग्राम+एवं दूध–100 ग्राम+चावल–25 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)
4	गुरुवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं अण्डा (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+अण्डा उबला–1)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	समोसा–2 एवं चटनी	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)
5	शुक्रवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं	चावल, दाल, बेसन की सब्जी (आलू भुजिया)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर–100 ग्राम+पनीर–50

9/06/4/2022

		अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, बेसन–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)		ग्राम) एवं सेवई (आटा–100 ग्राम एवं दूध–100 ग्राम+सेवई–25 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)
6	शनिवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल–50 ग्राम+काबुली चना–50 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	चाकलेट+बिस्कुट–2 पीस	खिचड़ी, चोखा एवं पापड़ (चावल–100 ग्राम, दाल–50 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं पापड़–1 मध्यम साईज का)
7	रविवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं अण्डा (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+अण्डा उबला–1)	चावल, दाल, चिकेन / मटन / मछली / पनीर एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, चिकेन / मटन / मछली / पनीर / सब्जी–100 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर–100 ग्राम+पनीर–50 ग्राम) एवं सेवई (आटा–100 ग्राम एवं दूध–100 ग्राम+सेवई–25 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)

(44) चिकित्सीय जाँच एवं दवा :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा चिकित्सीय जाँच एवं छात्राओं को दवा उपलब्ध कराने के संबंध में निदेश दिया गया है। जिसमें निदेशित किया गया है कि संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र / अस्पताल के चिकित्सक को रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। चिकित्सक के परामर्श के आलोक में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी / दर के आलोक में किया जायेगा।

(45) आवासीय विद्यालय के भवन एवं परिसर का रख–रखाव तथा साफ–सफाई :– आवासीय विद्यालय के परिसर में अवस्थित शौचालय, पेयजल एवं भवन की मरम्मति / रंग रोगन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी समय–समय पर निरीक्षण कर आवश्यक रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

साफ–सफाई हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के आधार पर सफाई के लिए एजेन्सी का चयन किया जाएगा, जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के आलोक में राशि का भुगतान जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24, दिनांक–19.03.2021 द्वारा इस हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(46) स्काउट एवं गाईड :– प्रत्येक उच्च विद्यालय में स्काउट एवं गाईड / एन.सी.सी. के प्रशिक्षण की व्यवस्था एन.सी.सी के कमान्डेन्ट के सहयोग से सुनिश्चित करायी जाय।

(47) शिक्षकों का स्थानांतरण:– शिक्षकों का स्थानांतरण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों / परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

(48) सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस :– यद्यपि कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित एवं भविष्य में संचालित होने वाले आवासीय विद्यालय उच्च श्रेणी के आवासीय विद्यालय की श्रेणी के हैं / होंगे। फिर भी कालक्रम में सभी आवासीय विद्यालयों में से दो आवासीय विद्यालयों को उच्च श्रेणी के दो आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जायेगा। ये अन्य आवासीय विद्यालयों के लिए प्रेरणा एवं प्रशिक्षण के श्रोत होंगे।

(49) पर्यवेक्षण (Supervision):– कल्याण विभाग के पत्रांक–5168, दिनांक–25.08.2006 के आलोक में आवासीय विद्यालयों के सफल संचालन के लिए सरकारी नियमों के अधीन रहते हुए समय–समय पर

प्रबंधन समिति के द्वारा पर्यवेक्षण कर सरकार को समय–समय पर सुझाव दिये जायेंगे। प्रबंध समिति का दायित्व होगा कि आवासीय विद्यालय का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा कर आवश्यकतानुसार उनके विकास के लिए शैक्षणिक, आधारभूत संरचना एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं के निदान हेतु महत्वपूर्ण परामर्श दिया जाए। जिला स्तर के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निदान किया जाय।

(50) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, संबंधित जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में अंकित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं करायें ताकि इन आवासीय विद्यालयों को सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय आदि के समान ख्याति मिले एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति शिक्षा पाकर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी बनें।

(51) विभागीय पत्रांक–2328, दिनांक–30.08.2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश/निदेश/अनुदेश का अनुपालन किया जाए।

(52) उपरोक्त अद्यतन निदेशों से असंगत सभी प्रावधान निरसित माने जायेंगे।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त।

06/04/2022
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/आ0वि0सं0–50–01/2016– 822 पटना, दिनांक– 06/04/2022

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/04/2022
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/आ0वि0सं0–50–01/2016– 822 पटना, दिनांक– 06/04/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीया उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/04/2022
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/आ0वि0सं0–50–01/2016– 822 पटना, दिनांक– 06/04/2022

प्रतिलिपिः– सभी प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/04/2022
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पं०सं०– पि0व0/छात्रा0/नि0प्र0स0–45–02/2021 – 292, 3280

प्रेषक,
डॉ0 वीरेन्द्र प्रसाद यादव (भा०प्र०से०),
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

MAIL

सभी उप निदेशक कल्याण,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 11/02/2021

विषयः– GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7810, दिनांक–23.10.2018 एवं पत्रांक–4004, दिनांक–31.05.2018.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक प्रत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों मे दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त विभागीय अधिसूचना 9230, दिनांक–27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये है (प्रति संलग्न)। इस संबंध में अन्य सुसंगत निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना के विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु सामग्रियों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति GeM Portal के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(डॉ0 वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं0– पि0व0/छात्रा0/नि0प्र0स0–45–02/2021 – 292 पटना, दिनांक– 11/02/2021

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D:/Rajneesh ACDC/Draft 3/vp

डॉ० एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र संख्या-एम-4-07/2018.......7810............/वि०

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 23/10/18

विषयः- GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार तथा लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये है । वित्त विभागीय अधिसूचना 1407 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य कर दिया गया है एवं निकट भविष्य में राज्य के सभी कार्यालयों में GeM से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य किये जाने की योजना है ।

अतः अनुरोध है कि GeM Portal के वेबसाईट पर निबंधन कराते हुए यथासंभव GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति आवश्यकतानुसार, की जाय । निबंधन से संबंधित विस्तृत जानकारी उक्त Portal के वेबसाईट www.gem.gov.in पर उपलब्ध है । अधिक जानकारी के लिये विभाग के नोडल पदाधिकारी श्री उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव Mobile No.- 9470001713 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,

23/X/2018

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

पत्र संख्या-एम-4-07/2018...4004.../वि०
बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 31-5-18

विषयः- GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत किये गये है तथा वित्त विभागीय अधिसूचना 1407 दिनांक 22.02.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य कर दिया गया है ।

अतः अनुरोध है, कि विभाग कर्णांकित में अपनी आवश्यकतानुसार अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों/नगर निकायों/बोर्ड/प्राधिकार/सोसाईटी/एजेन्सी इत्यादि में GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक 27.11.2017 में निर्गत निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश अपने स्तर से दे सकता है ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

6

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक 22-2-18

सं० एम 4 48/2012(खंड I)....1407..../वि०, वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-9230/वि0 दिनांक 27.11.2017 यथा संशोधित बिहार वित्त नियमावली के नियम 30(xx)(ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से करने हेतु दिनांक 01.04.2018 की तिथि नियत की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(उदयन मिश्रा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-एम 4 48/2012(खंड I)....1407..../वि० पटना, दिनांक 22.2.18

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (लि० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-एम 4 48/2012(खंड I)....1407..../वि० पटना, दिनांक 22-2-18

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-एम 4 48/2012(खंड I)....1407..../वि० पटना, दिनांक 22-2-18

प्रतिलिपिः-ई गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

सं०-एम-4-48/2012(अंश-1)......................../वि०, पटना दिनांक- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-30 का उपनियम-(xx) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(xx) GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से सभी विभागों द्वारा, आवश्यकतानुसार की जायेगी । GeM Portal से सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(क) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹50,000/- तक GeM Portal पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ।

(ख) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹50,000/- से अधिक एवं ₹30,00,000/- तक, कम से कम तीन विभिन्न निर्माताओं के उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं में से न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से । सक्षम पदाधिकारी के निर्णय से, GeM Portal पर उपलब्ध online bidding एवं online reverse auction का उपयोग भी इसके लिए किया जा सकता है ।

(ग) आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं आपूर्ति-अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹30,00,000/- से अधिक के लिए, अनिवार्य रूप से निविदा द्वारा GeM Portal पर उपलब्ध online bidding एवं online reverse auction का उपयोग करते हुए "न्यूनतम" कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्ता से ।

(घ) GeM Portal के Terms एवं Condition के अनुसार सभी विक्रेताओं एवं Portal पर निबंधित अन्य विक्रेताओं को, और जिन्होंने अपनी विशिष्ट सामग्रियों/सेवा कोटि के अधीन ऑफर दिये हों, online bidding एवं online reverse auction हेतु आमंत्रण उपलब्ध होगा ।

(ङ) उपरोक्त आर्थिक अधिकतम सीमा केवल GeM Portal के माध्यम से क्रय पर लागू होगी । GeM Portal से बाहर क्रय के लिए यदि कोई हो, तो बिहार वित्त नियमावली, 1950 के सुसंगत नियम लागू होंगे ।

(च) सरकारी क्रेता, आपूर्ति आदेश/क्रयादेश निर्गत करने के पूर्व, GeM पर उपलब्ध Business Analytics (BA) तकनीक का प्रयोग करते हुए, GeM Portal पर अंतिम रूप से ओफर क्रय [illegible] जिसमें विभाग द्वारा पूर्व में क्रय की गई राशि शामिल है, के द्वारा उचित मूल्य सुनिश्चित [illegible] ।

(छ) कुल मांगों के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में, GeM Portal पर [illegible] online bidding/online reverse auction अथवा आवश्यक उपयुक्त पद्धति [illegible] स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने हेतु मांगों की मात्रा को [illegible] के लिए विभाजित नहीं किया जायेगा ।

4)

(ज) उपर्युक्त खंड-(क) से (छ) के अनुसार GeM Portal से सामग्रियों के क्रय अथवा सेवा अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया राज्य में उस तिथि से लागू होगी, जो वित्त विभाग द्वारा इस हेतु अधिसूचित की जाय और विभिन्न स्तर के कार्यालयों हेतु विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी ।

(झ) आपवादिक परिस्थितियों में, यथा-अतिविशिष्ट व्यक्तियों का राज्य में परिभ्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति में जहां सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति तुरंत आवश्यक हो वहाँ सक्षम प्राधिकार यथा-राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी की मंजूरी प्राप्त कर GeM Portal से बाहर भी खरीददारी की जा सकेगी ।

(ञ) Online Portal Government e-Market Place (GeM) से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभाग आनुषंगिक कार्रवाई हेतु आवश्यक मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगा ।" .

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-48/2012(खंड-I)................../वि० पटना, दिनांक................

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-48/2012(खंड-I)...9230.../वि० पटना, दिनांक 27/11/12

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक–पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24, 330

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक– 19/03/2021

विषयः– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा–निदेशों की स्वीकृति।

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य के 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। उक्त सभी आवासीय विद्यालयों में कक्षा–6 से कक्षा 10+2 की कक्षाएँ संचालित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को आवासन की सुविधा दी जा रही है। आवासित छात्राओं के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ भवन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यकर एवं रूचिकर भोजन एवं दवा आदि की व्यवस्था हेतु विभाग सतत प्रयासरत है।

3. विभागीय पत्रांक–1573, दिनांक–01.09.2014 द्वारा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विगत वर्षो में महँगाई दर में वृद्धि हुई है। महँगाई दर में वृद्धि के मद्देनजर पूर्व निर्धारित दर में पुनः संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ एवं संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियाँ एवं सेवायें गुणवत्तापूर्ण ढंग से छात्राओं को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही, वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में परिमार्जित एवं अद्यतन रूप से समेकित निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा–निदेशों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. भोजनादि मद में प्रस्तावित वृद्धि के आलोक में आवासीय विद्यालयों के छात्राओं के लिए मेन्यू परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

6. विद्यालय के छात्राओं के पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री से संबंधित विवरणी एवं दिशा–निर्देश परिशिष्ट–2, 3, 4 के रूप में संलग्न है।

19/03/2021

P.T.O.

7. उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में राशि का व्यय भार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विपत्र कोड संख्या–11-2225032770010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

10. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से,

19/3/2021
(पंकज कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक– पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राज्य के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि कृपया इसकी 500 (पाँच सौ) प्रति मुद्रित कराकर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19/03/2021
सचिव।

ज्ञापांक– पि0बर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/2021
सचिव।

ज्ञापांक– पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2021
सचिव।

ज्ञापांक– पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–02.03.2021 के मद संख्या–35 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2021
सचिव।

ज्ञापांक– पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मा0 उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री महोदया के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2021
सचिव।

ज्ञापांक– पि0वर्ग/स्था0–15–111/2013– 24 पटना,दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2021
सचिव।

परिशिष्ट-1

आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण

क्र0	वार	सुबह में पी0टी0 के पहले	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	समोसा–2 एवं चटनी	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं (आटा–100 ग्राम+सब्जी–150 ग्रा दूध–100 ग्राम+चावल–25 ग्राम+चीनी ग्राम)
2	मंगलवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल–50 ग्राम+काबुली चना–50 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	मौसमी फल(150 ग्राम)	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं र (आटा–100 ग्राम+सब्जी–150 ग्राम सलाद–50 ग्राम)
3	बुधवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	चाकलेट+बिस्कुट–2 पीस	रोटी, अण्डा करी / सब्जी(आलू+मौसमी स एवं खीर(आटा– ग्राम+अण्डा–1 / सब्जी–150 ग्राम दूध–100 ग्राम+चावल–25 ग्राम+चीनी ग्राम)
4	गुरूवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं अण्डा (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+अण्डा उबला–1)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	समोसा–2 एवं चटनी	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) सलाद(चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)
5	शुक्रवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं दूध (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)	चावल, दाल, बेसन की सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, बेसन–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर–1 ग्राम+पनीर–50 ग्राम) एवं सेवई (आटा–1 ग्राम एवं दूध–100 ग्राम+सेवई– ग्राम+चीनी–30 ग्राम)
6	शनिवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल–50 ग्राम+काबुली चना–50 ग्राम)	चावल, दाल सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40ग्राम, सब्जी–150 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	चाकलेट+बिस्कुट–2 पीस	खिचड़ी, चोखा एवं पापड़ (चावल–100 ग्रा दाल–50 ग्राम, आलू–150 ग्राम एवं पापड़-मध्यम साईज का)
7	रविवार	अंकुरित चना (खड़ा चना–40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड–20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज–4) सब्जी एवं अण्डा (आटा–50 ग्राम+रिफाईण्ड–20 एम0एल0, सब्जी–150 ग्राम+अण्डा उबला–1)	चावल, दाल, चिकेन / मटन / मछली / पनीर एवं सलाद (चावल–100 ग्राम, दाल–40 ग्राम, चिकेन / मटन / मछली / पनीर / सब्जी–100 ग्राम एवं सलाद–50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर–10 ग्राम+पनीर–50 ग्राम) एवं सेवई (आटा–10 ग्राम एवं दूध–100 ग्राम+सेवई–2 ग्राम+चीनी–30 ग्राम)

पत्रांक– 24 दिनांक– 19/03/2021 का अनुलग्नक।

19/03/2021
सचिव

परिशिष्ट–2

आवासीय विद्यालयों की छात्राओं हेतु पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री संबंधी तालिका

क्र.स.	मद का नाम	स्वीकृत प्रावधान
1	2	3
1	फ्रॉक / कुर्ता / साड़ी	5 प्रति वर्ष
2	सलवार / पेटीकोट	5 प्रति वर्ष
3	ब्लाउज	5 प्रति वर्ष
4	नाईटी / नाईट शूट	2 प्रति वर्ष
5	समीज	2 प्रति वर्ष
6	अन्तः वस्त्र	6 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8	तौलिया	4 प्रति वर्ष
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10	जूता–मौजा / सैन्डल	2 प्रति वर्ष
11	सैनिटरी पैड	12 पीस के 12 पॉकेट प्रति वर्ष
12	मच्छरदानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्त्तन, फर्नीचर आदि	2 प्रति वर्ष

पत्रांक– 24 दिनांक–19/03/2021 का अनुलग्नक।

19/03/2021
सचिव

परिशिष्ट– 3

क्र.सं.	मद का नाम	स्वीकृत दर
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति माह	₹ 2300/-
2	तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति वर्ष	₹ 7500/-
3	पठन–पाठन सामग्री प्रति छात्रा (वार्षिक व्यय) (वर्ग 6 से 12 तक)	₹ 2150/-
4	बेड सीट, चादर, तकिया, दरी (प्रति छात्रा प्रति वर्ष)	₹ 1200/-
5	1. खेल कूद सामग्री / प्रतियोगिता (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 2,40,000/-
	2. पुस्कालय व्यय (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 2,88,000/-
	3. दैनिक समाचार पत्र / पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 4,80,000/-
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण (वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा)	₹ 1240/-
7	कौशल विकास (वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा)	₹ 1240/-
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 29,820/-
9	डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	(1) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर स्थानीय पेट्रोल पंप से (2) डीजल की मात्रा इंजन की क्षमता एवं MVI द्वारा निर्धारित मापदंड पर
10	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	₹ 4,07,800/-
11	बिहार परिभ्रमण	मुख्यमंत्री बिहार भ्रमण योजना ₹ 80,000/- प्रतिवर्ष प्रति 50 छात्रा।
12	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के स्तर से आउट सोर्सिंग के आधार पर।

नोटः– रसोईगृह एवं भोजनगृह में कीडा मारने वाला मशीन (Insect Killer Machine), सैनेटरी नैपकीन, वेडिंग मशीन, आर0ओ0 सिस्टम मशीन (R.O Machine) एवं सी0सी0 कैमरा उप विकास आयुक्त के स्तर पर गठित क्रय समिति के द्वारा निर्धारित मानक, दर के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। राशि का व्यय सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत किया जायेग

पत्रांक– 24 दिनांक– 19/03/2021 का अनुलग्नक।

19/03/2021
सचिव

परिशिष्ट–4

सामग्री एवं पूर्तियाँ के लिए क्रय प्रकिया, पद्धति में गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा–निदेश।

क्र0	मद का नाम	अभियुक्ति
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्रा प्रति माह (वर्ग–6 से 12 तक)	i. निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। ii. विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोग्राफी के सत्यापन के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा। iii. मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने/विशेष परिस्थिति में मेस संचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक/प्रधानाध्यापक की होगी।
2	वस्त्र, तेल, साबुन, सर्फ, दवा, प्रति छात्रा प्रति वर्ष (वर्ग 6–12 तक)	<u>वस्त्र</u> i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को वस्त्रादि मद में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। ii. विद्यालय पोशाक में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया जाएगा। iii छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय में पोशाक क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। <u>तेल, साबुन, सर्फ,</u> i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। <u>दवा</u> i संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सक को रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। चिकित्सक के परामर्श के आलोक में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी/दर के आलोक में किया जायेगा। ii संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी।

21/03/2024

3	पठन पाठन सामग्री प्रति छात्रा वार्षिक (वर्ग–6 से 12 तक)	i. संबंधित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राशि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। ii छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय बाजार में पठन–पाठन सामग्री की उपलब्धता के आलोक में पठन–पाठन सामग्री क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
4	बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट हेतु	i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते किया जाएगा। ii. विद्यालय में बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा। III छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प्रधानाध्यापक बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट क्रय करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राशि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
5	खेलकूद सामग्री/प्रतियोगिता /पुस्तकालय व्यय/दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	<u>खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता</u> i. खेल कूद सामग्रियों की अनुमान्यता के आलोक में छात्रा की गठित समिति के मांग के अनुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा अधियाचना जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध राशि के अनुरूप खेल–कूद सामग्रियों का क्रय किया जायेगा। <u>पुस्तकालय</u> ii. छात्राओं एवं शिक्षकों की अधियाचना के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। <u>दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका</u> iii दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका पर व्यय होने वाले विपत्रों को प्रति हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक के द्वारा विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
6	व्यवसायिक प्रशिक्षण (वर्ग–6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा चयनित एजेंसी एवं दर के आलोक में व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवंटित एजेंसी के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

4/3/03/2021

7	कौशल विकास (कम्प्यूटर प्रशिक्षण) (वर्ग–6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा	i. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थान का चयन एवं दर का निर्धारण किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय क्रय समिति के स्तर से अनुशंसित संस्थान के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राशि के आलोक में छात्राओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, वागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	छात्राओं एवं शिक्षकों की अधियाचना के आलोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी से संबंधित प्रस्ताव पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जिसके आलोक में व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा इस सदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किए जाएंगे।
7	डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	प्रधानाध्यापक की अधियाचना के आलोक में डीजल पर व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
8	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के आधार पर सफाई के लिए एजेन्सी का चयन किया जाएगा, जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के आलोक में राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
9	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)	उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार के नियमों के अधीन आउटसोर्सिंग के आधार पर एजेन्सी का चयन कर आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

पत्रांक– 24 दिनांक– 19/03/2021 का अनुलग्नक।

19/03/2021
सचिव